उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की चतुर्थ बोर्ड बैठक

दिनाँक : 22 सितम्बर, 2015 का कार्यवृत्त

दिनांक 22.09.2015 को श्री राजीव गाँधी बहुउद्देशीय भवन, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून स्थित राज्य प्राधिकरण के सभागार में मा0 आवास मंत्री/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता बोर्ड आयोजित की गयी।

उपस्थिति :

1– श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा0 आवास मंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
2– श्री डी0 एस0 गर्ब्याल, सचिव आवास, उत्तराखण्ड शासन, मुख्य प्रशासक।
3– श्री आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्, उपाध्यक्ष मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।
4– श्री वी0 षणमुगम, अपर सचिव आवास, उत्तराखण्ड शासन, अपर मुख्य प्रशासक।
5– श्री अरूणेन्द्र चौहान, अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन।
6– श्री रविनाथ रमन, जिलाधिकारी देहरादून।
7– श्री ए0के0 द्विवेदी, अपर निदेशक पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड।
8– श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
9– श्री एस0के0 पंत, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
10–सुश्री निधि यादव, सचिव हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
11–श्री पी0सी0 दुम्का, सचिव मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
12–श्री गिरीश गुणवन्त, सचिव दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
13–श्री सुभाष चन्द्र, संयुक्त सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
14– श्री एन0 एस0 रावत, अधीक्षण अभियन्ता उ0आ0न0वि0प्रा0।
15– श्री आर0 जी0 सिंह, नगर नियोजक, उ0आ0न0वि0प्रा0/एम0डी0डी0ए0।
16–श्री नरेन्द्र सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी आवास, उत्तराखण्ड शासन।
17–श्री आनन्द राम, सहायक अभियन्ता, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण नैनीताल।
18– श्री बी0एस0 नेगी, सहायक अभियन्ता, उ0आ0न0वि0प्रा0।

सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण बोर्ड की चतुर्थ बैठक प्रारम्भ की गयी, जिसमें तृतीय बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन पर विस्तार से विचार–विमर्श के उपरान्त कार्यवाही पर सहमति के उपरान्त पुष्टि की गयी। तद्परान्त चतुर्थ बोर्ड बैठक एजेण्डा पर विचार–विमर्श किया गया।

क्रमांक–01

विषय–विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की महायोजना की प्रगति के सम्बन्ध में।

निर्णय– देहरादून विकास क्षेत्र का जोनल प्लान का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है, जिसे प्राधिकरण बोर्ड में अनुमोदन के उपरान्त आपत्तियां आमंत्रित की जानी है। सुनवाई के उपरान्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए संशोधन उपरान्त स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया

जाए। यद्यपि उक्त कार्य में चरणबद्ध रूप से पर्याप्त समय लगने की सम्भावना है, फिर भी बोर्ड द्वारा जोनल प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु समय सीमा जनवरी, 2016 निर्धारित की गयी। उक्त अवधि के अन्दर जोनल प्लान को अन्तिम रूप दिया जाय। चर्चा के दौरान यह भी तथ्य सामने आया है कि विधौली क्षेत्र के तीन गांव और मौथरोवाला के सात गांवों को सम्मलित करते हुए हर हाल में 15 अक्टूबर,2015 तक एम0डी0डी0ए0 की बोर्ड बैठक में रखते हुए प्रस्ताव की स्वीकृति लेते हुए जनवरी, 2016 तक शासन को प्रेषित की जाए।

दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की महायोजना की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि आपत्तियों की सुनवाई हो चुकी है तथा भौतिक सर्वेक्षण 15 दिन के अन्दर पूर्ण करते हुए शीघ्र अति शीघ्र स्थानीय प्राधिकरण की बोर्ड बैठक का आयोजन कर प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त कर शासन को प्रेषित किया जाए।

हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हरिद्वार महायोजना नोटिफाइट की जा हो चुकी है तथा रूड़की विकास क्षेत्र की महायोजना तैयार किये जाने हेतु संबंधित फर्म से अनुबन्ध हो चुका है, जिसमें महायोजना तैयार करने हेतु कम दरों पर करने के लिए नियोगोशेसन के आधार पर सहमति हो चुकी है, जबकि ऋषिकेश विकास क्षेत्र का बेस मैप तैयार हो गया है तथा भू–उपयोग सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है। उक्त कार्य को किये जाने हेतु अनुभवी कार्मिकों की आवश्यकता को देखते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के सेवानिवृत्त अनुभवी कर्मियों की सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है, जिसके लिए शासन स्तर से अनुमति ली गयी है। अतः निर्णय लिया गया कि जिस भी संस्था द्वारा महायोजना का कार्य करवाया जाना है अथवा जिन अनुभवी सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाओं की आवश्यकता महायोजना कार्य हेतु हो उनकी सेवायें लेते हुए कार्य को तत्काल समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराया प्रस्ताव यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए।

नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की महायोजना तैयार किये जाने के लिए सचिव, झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि श्री आनन्द राम आर्य द्वारा बताया गया कि महायोजना तैयार किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है। जिसमें 26 सितम्बर,2015 की तिथि नियत है, अतः निर्णय लिया गया कि उक्त महायोजना का कार्य त्वरित गति से पूर्ण कराया जाए।

टिहरी झील परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण की महायोजना के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि टिहरी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन विकास प्राधिकरण कार्यरत होने के कारण दोनों विकास प्राधिकरण का विकास क्षेत्र बड़ा भाग ओवर लेपिंग है। टिहरी विकास क्षेत्र का अधिकत्तम क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत है। इसके अतिरिक्त 20–25 गाँव बचते हैं, जिन्हें पर्यटन विभाग में सम्मलित किया जाए और टिहरी झील विकास क्षेत्र से हटाकर पर्यटन विकास प्राधिकरण में नोटिफाइट करने की कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही– न0ग्रा0नि0वि0 / एम0डी0डी0ए0 / एच0आर0डी0ए0 / साडा / एल0डी0ए0)

क्रमांक–02

विषय– शासन द्वारा लागू वन टाइम सैटेलमेंट स्वैच्छिक शमन योजना की अद्यतन प्रगति।

निर्णय–वन टाइम सैटेलमैंट स्वैच्छिक शमन योजना सम्बन्धित विभिन्न प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्रों की अद्यतन प्रगति पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विनियमित क्षेत्रों से आपेक्षित

परिणाम न आने के कारण बोर्ड द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक को निर्देशित किया गया कि विनियमित क्षेत्रों पर नियंत्रण रखकर उन्हें भविष्य में इस प्रकार की योजनाओं हेतु प्रेरित करें।

मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण में वन टाइम सैटेलमैंट स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत 3749 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 2569 स्वीकृत हुए और 572 प्रकरण लम्बित है, कुल रू0 15 करोड़ प्राप्त हुए।

सचिव साडा द्वारा अवगत कराया गया कि दूनघाटी विकास क्षेत्र में भू–उपयोग न होने के कारण उक्त योजना कारगर ढंग से लागू नहीं हो पायी, तथापि 300 आवेदन प्राप्त हुए, 255 निस्तारित किये गये और 45 लम्बित है, कुल रूपये 122 लाख प्राप्त हुए।

सचिव हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि 189 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 122 स्वीकृत किये गये और 67 प्रकरण लम्बित है, कुल 39 लाख रूपये प्राप्त हुए। यह भी अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्र में अधिकत्तर धर्मशालाओं हैं, जिनका स्वामित्व स्पष्ट न होने के कारण योजना में संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं तथा रूड़की क्षेत्र विकास क्षेत्र हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण में सम्मलित हुआ है, जिस कारण पूर्व में कार्यरत विनियमित क्षेत्रों की पत्रावलियां हस्तान्तरित नहीं हो सकी। जिस कारण इस योजना के संतोषजनक परिणाम नहीं मिल पाये।

नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में इस योजना के अन्तर्गत मात्र 221 प्रस्ताव प्राप्त हुए, 192 का निस्तारण किया गया तथा रू0 5469000.00 की धनराशि प्राप्त हुई। एन0एल0डी0ए0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नैनीताल क्षेत्र में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्माणों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, जिस कारण कतिपय क्षेत्र में निर्माणों को शमन नहीं किया जा सका। अतः निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण स्तर पर योजना में प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण यथाशीघ्र किया जाए।

(कार्यवाही–न0ग्रा0नि0वि0 / एम0डी0डी0ए0 / एच0आर0डी0ए0 / साडा / एल0डी0ए0)

क्रमांक–03

विषय– पिरान कलियर को हरिद्वार–रूड़की विकास क्षेत्र में जोड़ने के संबंध में।

निर्णय–पिरान कलियर को हरिद्वार–रूड़की विकास क्षेत्र से जोड़ने का प्रस्ताव नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार किया गया है, को बोर्ड के समक्ष रखा गया। इस सम्बन्ध में निर्णय हुआ कि राजमार्ग से लगे 13 अवशेष गाँवों सम्मलित करने हेतु भौतिक सर्वेक्षण कराकर संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही–न0ग्रा0नि0वि0 / एच0आर0डी0ए0 / उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक–04

विषय– जिला चम्पावत अन्तर्गत टनकपुर, बनवसा नगरीय क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में।

निर्णय–वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस क्षेत्र का भौतिक स्थल निरीक्षण किया जाना है, जिसका प्रस्ताव स्थल निरीक्षण के उपरान्त अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया

कि समिति गठित कर स्थल निरीक्षण कर प्रस्ताव पर विधिक परीक्षण कराये जाने के उपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया।

(कार्यवाही–न0ग्रा0नि0वि0 / उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक–05

विषय– उत्तराखण्ड शासन से वित्तीय वर्ष 2014–2015 में नान प्लान के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के संबंध में।

निर्णय–बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि जो शासन से प्राप्त हुई उनका संज्ञान लिया गया।

(कार्यवाही–उ0आ0न0वि0प्रा0 / आवास विभाग)

क्रमांक–06

विषय– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट के संबंध में।

निर्णय–बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही–उ0आ0न0वि0प्रा0 / आवास विभाग)

क्रमांक–07

विषय–विनियमित क्षेत्रों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के संबंध में।

निर्णय–वरिष्ठ नियोजक द्वारा विभिन्न विनियमित क्षेत्रों कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि विभिन्न विनियमित क्षेत्रों द्वारा लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों के सम्बन्ध में सी0टी0सी0पी0 द्वारा समस्त विनियमित क्षेत्रों की समीक्षा कर, तद्नुसार शासन को अवगत कराया जाए।

(कार्यवाही–न0ग्रा0नि0वि0)

क्रमांक–08

विषय–स्थानीय प्राधिकरणों के कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा के सम्बन्ध में।

निर्णय–उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न योजना की प्रगति प्रस्तुत की गयी। इसी प्रकार सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण तथा नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि द्वारा विभिन्न योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सभी प्राधिकरण आवासीय योजनाओं का निर्माण शीघ्र करें तथा भविष्य की योजनाओं हेतु भूमि बैंक स्थापित करें।

(कार्यवाही–न0ग्रा0नि0वि0 / एम0डी0डी0ए0 / एच0आर0डी0ए0 / साडा / एल0डी0ए0)

क्रमांक–09

विषय–देहरादून महायोजना के जोनल प्लान की प्रगति।

निर्णय– उपाध्यक्ष मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि जोनल प्लान तैयार हो चुका है, जिसे स्वीकृत हेतु प्राधिकरण के बोर्ड में रखा जाना है, इसके लिए अध्यक्ष महोदय से 15 अक्टूबर, 2015 को बोर्ड बैठक किये जाने अनुरोध किया गया है।

क्योंकि उक्त कार्य को चरणबद्ध रूप से कराने हेतु पर्याप्त समय लगने की सम्भावना है। चर्चा के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि अवशेष गांवों को सम्मलित करने हेतु जोनल शीघ्र अति शीघ्र स्वीकृत कराया जाय तथा जोनल प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु अधिकत्तम समय सीमा जनवरी, 2016 निर्धारित की गयी।

(कार्यवाही–न0ग्रा0नि0वि0 / एम0डी0डी0ए0)

क्रमांक–10

विषय–हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण का मास्टर प्लान बनाये जाने के संबंध में।

निर्णय– हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत हरिद्वार महायोजना नोटिफाइट की जा चुकी है तथा रूड़की विकास क्षेत्र की महायोजना तैयार किये जाने हेतु संबंधित फर्म से अनुबन्ध हो चुका है, जबकि ऋषिकेश विकास क्षेत्र का बेस मैप तैयार हो गया है तथा भू–उपयोग सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है। उक्त कार्य को किये जाने हेतु अनुभवी कार्मिकों की आवश्यकता को देखते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के सेवानिवृत्त अनुभवी कर्मियों की सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। महायोजना का कार्य तत्काल समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराकर प्रस्ताव यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही–न0ग्रा0नि0वि0 / एच0आर0डी0ए0)

क्रमांक–11

विषय–मा0 मुख्यमंत्री जी की दिनांकः 03.06.2015 की समीक्षा बैठक की प्रगति के सम्बन्ध में।

निर्णय– मा0 मुख्यमंत्री की अध्यक्षाता में आयोजित बैठक के निर्णय पर प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि तत्काल निर्णयों का अनुपालन किया जाए।

(कार्यवाही–न0ग्रा0नि0वि0 / एम0डी0डी0ए0 / एच0आर0डी0ए0 / साडा)

क्रमांक–12

विषय–नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा के सम्बन्ध में।

निर्णय– वरिष्ठ नियोजक द्वारा विभिन्न कार्यों की प्रगति रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विभाग द्वारा कराये जा रहे दायित्वों पर चर्चा की गई। कई महायोजना अभी तक नहीं बनाई गई है। महायोजना को शीघ्र बनवाने तथा क्रियान्वित करने हेतु सर्वे आदि का कार्य वाह्य एजेन्सी से कराने पर विचार करते हुए कार्यवाही सम्पादित की जाए। देहरादून विकास क्षेत्र का जोनल प्लान तैयार किया जा चुका है, जिसे शीघ्र बोर्ड बैठक में स्वीकृति के बाद अग्रिम कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। देहरादून महायोजना में तीन गांव विधौली क्षेत्र के सम्मलित किये जा चुके है तथा 17 गाँव सम्मलित किये जाने हेतु कार्य प्रगति पर है। साडा का मास्टर प्लान लगभग अन्तिम चरण में है, एक सप्ताह के भीतर भौतिक निरीक्षण के उपरान्त इसको अन्तिम रूप देने के बाद साडा की बोर्ड बैठक में स्वीकृत कराकर शासन को प्रेषित किया जायेगा। हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पिरान कलियर का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है, जिसका पुनः एक बार भौतिक रूप से स्थल निरीक्षण किया जाना है, जिसमें सड़क से लगते गांवों के सम्मलित करते हुए संशोधित प्रस्ताव भेजा जाना है। नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र श्यामखेत धानाचूली को विकास क्षेत्र में सम्मलित करने हेतु प्रस्ताव नैनीताल झील विकास प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध

कराया जाना उचित होगा। गैरसैंण विनियमित क्षेत्र घोषित हो चुका है, जिसका मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। श्रीनगर विनियमित क्षेत्र की महायोजना का कार्य अक्टूबर 2015 तक पूर्ण होगा।

(कार्यवाही–न0ग्रा0नि0वि0)

क्रमांक–13

विषय– राज्य प्राधिकरण के संशोधित पदों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय–सम्यक विचारोपान्त संयुक्त मुख्य प्रशासक के शासन द्वारा स्वीकृत दो पदों को सम्मलित करते हुए शासन को प्रेषित प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही–अ0आ0न0वि0प्रा0/आवास विभाग)

क्रमांक–14

विषय– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में दो वाहन क्रय करने के संबंध में।

निर्णय–बोर्ड के समक्ष दो वाहनों के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गयी, जिस पर शासनादेशों के अनुरूप वाहन क्रय किये जाने हेतु सहमति दी गयी तथा बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अधिकारियों की नियुक्ति होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार वाहन क्रय अथवा किराये पर लिए जाय। वर्तमान आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एक बोलेरो तथा एक इनोवा वाहन क्रय करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही–अ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक–15

विषय– उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में वित्त नियंत्रक की तैनाती के संबंध में।

निर्णय–चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि जब तक शासन द्वारा वित्त नियंत्रक की तैनाती नहीं की जाती है, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एम0डी0डी0ए0 के वित्त नियंत्रक को राज्य प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया जाए।

(कार्यवाही–अ0आ0न0वि0प्रा0)/आवास विभाग/एम0डी0डी0ए0)

क्रमांक–16

विषय–प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्रों के वाह्य क्षेत्रों को विकास क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव पर चर्चा के सम्बन्ध में।

निर्णय–विनियमित क्षेत्रों का विस्तार करते हुए संशोधित विकास क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही–न0ग्रा0नि0वि0/आवास विभाग)

क्रमांक–17

विषय–भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियमन–2011 (संशोधित–2015) को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय–बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से संशोधित भवन उपविधि/विनियमन–2011(संशोधित–2015) को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही–अ0आ0न0वि0प्रा0/आवास विभाग)

क्रमांक–18

विषय–उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में विशेष कार्यकारी अधिकारी की तैनाती के संबंध में।

निर्णय–प्रस्ताव पर चर्चा की गयी तथा निर्णय लिया गया कि राज्य प्राधिकरण के ढाँचे का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है, तद्नुसार कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही–अ0आ0न0वि0प्रा0/आवास विभाग)

उपरोक्त निर्णय के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव, आवास/मुख्य प्रशासक
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।

संख्या– 342 /उडा–24/बोर्ड बैठक/2014, दिनांक: 30.09.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
2. निजी सचिव, सचिव आवास विभाग/मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
3. निजी सचिव, अपर सचिव आवास विभाग।
4. बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगण।
5. गार्ड फाइल।

(डा0 वी0 षणमुगम)
अपर सचिव, आवास/अपर मुख्य प्रशासक
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।